उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ

संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह/बड़ा लॉन/छोटा लॉन

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के गोमती नगर स्थित परिसर में निर्मित संत गाडगेजी महाराज प्रेक्षागृह एवं ग्रीन रूम कक्षों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु किराए पर उपलब्ध है, जिसमं 596 (वाल्कनी सहित) दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। मंच का आकार × फीट है। मंच पर साईड विंग्स, साइक्लोरामा, मिड कर्टेन तथा फ्रंट कर्टेन सहित मंच के पीछे ग्रीन रूम भी उपलब्ध हैं।

क्र.	किराए का विवरण	नियम
1.	(क) नाट्य, लोक नाट्य, शास्त्रीय एवं लोक संगीत एवं लोक नृत्य एवं सुगत संगीत के कार्यक्रमों व इससे संबंधित गोष्ठ हेतु एवं कार्यक्रमों में रू0 1.00 से रू0 100.00 तक टिकट बिक्री करने पर/सहयोग राशि लेने पर एवं सरकारी/अर्द्धसरकारी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों पर किराये की धनराशि कुल रू0 15,000.00 नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त इस किराये के अन्तर्गत टैरिस/लॉबी भी सम्मिलित होगी (प्रतिदिन 08 घण्टे हेतु) रखा जायेगा।	1. इस किराए में प्रेक्षागृह आठ घंटे हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। 2. किराए के अन्तर्गत संस्थाओं को सेट निर्माण/साज–सज्जा हेतु प्रेक्षागृह प्रथम 2.00 घंटे अतिरिक्त दिया जाएगा। 3. किराए के अन्तर्गत वातानुकूलन की सुविधा अधिकतम छः घंटे के लिए मुख्य कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त वातानुकूलन की सुविधा हेतु रू0 2,500/–प्रति घंटे की दर से उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मुख्य कार्यक्रम हेतु जनरेटर की सुविधा अधिकतम 2.30घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरक्त जनरेटर की सुविधा लेने पर 20लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल संस्था द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
2.	नाट्य, लोक नाट्य, शास्त्रीय एवं लोक संगीत एवं लोक नृत्य एवं सुगम संगीत के कार्यक्रमों व इससे संबंधित गोष्ठी में रू0 100/– से अधिक टिकट बिक्री करने एवं सहयोग राशि लेने पर तथा कारपोरेट द्वारा प्रायोजित करने पर सरकारी/अर्द्धसरकारी, निगम, टी0वी0, आकाशवाणी, स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट, संगीत स्कूल के कार्यक्रमों व्यवसायिक एवं अन्य हेतु किराया रू0 32,000.00 एवं नियमानुसार जी. एस.टी. अतिरिक्त इस किराये के अन्तर्गत टैरिस/लॉबी भी सम्मिलित होगी (प्रतिदिन 08 घण्टे हेतु) रखा जायेगा।	1. इस किराए में प्रेक्षागृह आठ घंटे हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। 2. किराए के अन्तर्गत संस्थाओं को सेट निर्माण/साज–सज्जा हेतु प्रेक्षागृह प्रथम 2.00 घंटे अतिरिक्त दिया जाएगा। 3. किराए के अन्तर्गत वातानुकूलन की सुविधा अधिकतम छः घंटे के लिए मुख्य कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त वातानुकूलन की सुविधा हेतु रू0 2,500/–प्रति घंटे की दर से उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मुख्य कार्यक्रम हेतु जनरेटर की सुविधा अधिकतम 2.30घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरक्त जनरेटर की सुविधा लेने पर 20लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल

		संस्था द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
3.	टेलीविजन, धारावाहित की शूटिंग रिकार्डिग रियलिटी शो हेतु किराया रू0 60,000.00। प्रेक्षागृह में ततसमय उपलब्ध ध्वनि व प्रकाश की व्यवस्था ही मिल सकेगी। शूटिंग हेतु अतिरिक्त ध्वनि व प्रकाश की अवश्यकता होने पर संबिंधित संस्था द्वारा पूर्ण ध्वनि व प्रकाश व्यवस्था जनरेटर से करनी होगी। जनरेटर की व्यवस्था संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। इस किराये में प्रेक्षागृह 12.00 घण्टे हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अतिरिक्त दिवसों हेतु प्रतिदिवसरू0 40,000/— मात्र। किराया।	1. इस किराए में प्रेक्षागृह केवल 12 घंटे हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। 2. अतिरिक्त दिवसों हेतु किराया प्रतिदिवस रू0 40,000/—मात्र। 3. किराए के अन्तर्गत वातानुकूलन की सुविधा अधिकतम आठ घंटे के लिए मुख्य कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त वातानुकूलन की सुविधा हेतु रू0 2,500/—प्रति घंटे की दर से उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मुख्य कार्यक्रम हेतु जनरेटर की सुविधा अधिकतम 2.30घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरक्त जनरेटर की सुविधा लेने पर 20लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल संस्था द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
4.	फिल्मो की शूटिंग हेतु किराया रू0 1,00,000. 00 । प्रेक्षागृह में ततसमय उपलब्ध ध्वनि व प्रकाश की व्यवस्था ही मिल सकेगी। शूटिंग हेतु अतिरिक्त ध्वनि व प्रकाश की अवश्यकता होने पर संबिंधित संस्था द्वारा पूर्ण ध्वनि व प्रकाश व्यवस्था जनरेटर से करनी होगी। जनरेटर की व्यवस्था संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। इस किराये में प्रेक्षागृह 12.00 घण्टे हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अतिरिक्त दिवसों हेतु प्रतिदिवसरू0 70,000/— मात्र। किराया। (प्रेक्षागृह में ध्वनि एवं प्रकाश की व्यवस्था ही मिल सकेगी। शूटिंग हेतु अतिरिक्त ध्वनि एवं प्रकाश की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित संस्था द्वारा सम्पूर्ण ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था जनेरटर से करनी होगी। जनरेटर की व्यवस्था भी सम्बन्धित संस्था द्वारा स्वयं की जाएगी)	1. इस किराए में प्रेक्षागृह केवल 12 घंटे हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। 2. अतिरिक्त दिवसों हेतु किराया प्रतिदिवस रू0 70,000/—मात्र। 3. किराए के अन्तर्गत वातानुकूलन की सुविधा अधिकतम आठ घंटे के लिए मुख्य कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त वातानुकूलन की सुविधा हेतु रू0 2,500/—प्रति घंटे की दर से उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मुख्य कार्य{म हेतु जनरेटर की सुविधा अधिकतम 2.30घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरक्त जनरेटर की सुविधा लेने पर 20लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल संस्था द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
5.	**<u>बड़ लॉन</u>** प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खान—पान हेतु बड़ा लॉन लेने पर किराया रू0 17,000/—मात्र एव 18 प्रतिशत जी0एस0टी अतिरिक्त देय साथ ही रू0 10,000/— सिक्योरिटी धनराशि जमा होगी।	अकादमी द्वारा मात्र बड़ा लॉन ही उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली कनेक्शन एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएं आरक्षण कराने वाली संस्था/व्यक्ति द्वारा स्वयं वहन की जाएंगी। संस्था/व्यक्ति बिजली कनेक्शन की रसीद अकादमी को उपलब्ध कराएगी।
6.	**<u>छोटा लॉन लिफ्ट साइड</u>** प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खान—पान हेतु	अकादमी द्वारा मात्र छोटा लॉन ही उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली कनेक्शन एवं अन्य

	बड़ा लॉन लेने पर किराया रू0 7,000/–मात्र एव 18 प्रतिशत जी0एस0टी अतिरिक्त देय साथ ही रू0 5,000/– सिक्योरिटी धनराशि जमा होगी।	समस्त व्यवस्थाएं आरक्षण कराने वाली संस्था/व्यक्ति द्वारा स्वयं वहन की जाएंगी। संस्था/व्यक्ति बिजली कनेक्शन की रसीद अकादमी को उपलब्ध कराएगी।
7.	**<u>मुक्ताकाशी मंच छोटा लॉन</u>** प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खान–पान हेतु बड़ा लॉन लेने पर किराया रू0 7,000/–मात्र एव 18 प्रतिशत जी0एस0टी अतिरिक्त देय साथ ही रू0 5,000/– सिक्योरिटी धनराशि जमा होगी।	अकादमी द्वारा मात्र छोटा लॉन ही उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली कनेक्शन एवं अन्य समस्त व्यवस्थाएं आरक्षण कराने वाली संस्था/व्यक्ति द्वारा स्वयं वहन की जाएंगी। संस्था/व्यक्ति बिजली कनेक्शन की रसीद अकादमी को उपलब्ध कराएगी।

1. प्रेक्षागृह का आरक्षण होने की स्थिति में खान–पान आदि की व्यवस्था हेतु प्रेक्षागृह की बाल्कनी संस्थाके अनुरोध पर उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके किराए हेतु रू0 4,000/–मात्र का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाना होगा।
2. विशेष परिस्थितियों में प्रेक्षागृह आरक्षण के आठ घंटे के अतिरिक्त (अतिरिक्त चार घंटे अर्थात् कुल 12.00 घंटे) प्रेक्षागृह की आवश्यकता होने पर बिन्दू–1 एवं 2 हेतु अतिरिक्त रूप से क्रमशः रू0 4,000/– एवं रू0 6,000/–मात्र देय होगा।

<u>संत गाडगेजी महाराज प्रेक्षागृह/वाल्मीकि प्रेक्षागृह/बड़ा लॉन/छोटा लॉन के आरक्षण से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें :–</u>

1. प्रेक्षागृह का आरक्षण प्रथम आगत एवं प्रथम स्वागत के आधार पर किया जाएगा।

2. प्रेक्षागृह के आरक्षण हेतु अकादमी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सम्भावित आरक्षण किया जा सकता है किन्तु इसके लिए आवेदन–पत्र के साथ धरोहर राशि का चेक/बैंकड्राफ्ट जमा करना होगा। यदि संस्था/व्यक्ति द्वारा तिथियों में परिवर्तन/निरस्त कराया गया तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

3. किराये की पूर्ण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने पर ही आरक्षण मान्य होगा। इसमें तिथि परिवर्तन हेतु कार्यक्रम तिथि से 15 दिन पूर्व तक लिखित नियम अनुरोध करने पर धरोहर धनराशि का 50 प्रतिशत क कटौती की जायेगी। कटौती की गयी धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी। तिथि परिवर्तन किया जा सकेगा।

4. यदि आरक्षण कार्यक्रम की तिथि से 15 दिन पूर्व निरस्त किया जाता है तो धरोहर राशि का पचास प्रतिशत व जी.एस.टी. काटी जायेगी और यदि आरक्षण कार्यक्रम की तिथि से 15 दिन के अन्दर निरस्त कराया जाता है। तो किराऐ की 50 प्रतिशत एवं जी0एस0टी काटी जायेगी।

5. प्रेक्षागृह एवं रंगशाला में खान–पान की सामग्री ले जाने व गदन्गी फैलाने पर संस्था की पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

6. प्रेक्षागृह के आरक्षण हेतु **ज़िला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र** संस्था द्वारा प्रस्तुत करना होगा। बगैर ज़िला प्रशासन की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्रेक्षागृह खोला जाना सम्भव नहीं होगा।

7. प्रेक्षागृह के आरक्षण हेतु यह अनिवार्य होगा कि आवेदक संस्था द्वारा रू0 10,000/–(रूपए दस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में किराए के साथ जमा की जाएगी। यदि किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा लगातार दो दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रेक्षागृह का आरक्षण कराया जाता है और इन दिनों में कोई भी क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने पर ही आगे के कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम के सम्पन्न होने के उपरान्त, यदि संस्था द्वारा प्रेक्षागृह के उपयोग में लाते समय प्रेक्षागृह, प्रकाश एवं ध्वनि उपकरणों में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है तो संस्था को पूर्ण धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। किन्तु किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसका आकलन कर धरोहर राशि में से कटौती कर ली जाएगी। यदि धरोहर राशि से अधिक की क्षति का आकलन किया जाता है तो वास्तविक क्षतिपूर्ति आयोजक संस्था द्वारा की जाएगी। यदि संस्था चाहे तो धरोहर राशि अकादमी के पास जमा रख सकती है, जिसका उपयोग संस्था द्वारा आगामी कार्यक्रमों हेतु प्रेक्षागृह के आरक्षण के समय किया जा सकता है, धरोहर राशि की स्व प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न की जानी होगी।

8. प्रेक्षागृह की कार्य–अवधि सप्ताह में सातों दिन प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होगी। रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् प्रेक्षागृह का उपयोग वर्जित होगा तथा प्रेक्षागृह का उपयोग करने वाली संस्था को रात्रि 10.00 बजे तक प्रेक्षागृह अकादमी के केयरटेकर/गार्ड को सौंपना होगा। प्रेक्षागृह के अन्दर पान, तम्बाकू, सिगरेट, मदिरा तथा अन्य किसी नशे की वस्तुओं का उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा। किसी प्रकार का खान–पान अथवा चाय आदि प्रेक्षागृह के अन्दर वर्जित होगा।

9. प्रेक्षागृह का उपयोग नाट्य, लोक तथा शास्त्रीय सगीत के कार्यक्रमों, सेमिनार, संगोष्ठियों आदि के लिए ही किया जाएगा। फैशन–शो, पॉप संगीत आदि तथा विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों, ट्रेड यूनियनों, सेवा संघों, राजनैतिक संगठनों आदि के कार्यक्रमों के लिए प्रेक्षागृह का आरक्षण नहीं किया जाएगा।

10. प्रेक्षागृह की स्वच्छता तथा रख–रखाव का दायित्व अकादमी के साथ–साथ प्रेक्षागृह का उपयोग करने वाली संस्था का भी होगा ओर संस्था से अपेक्षा है कि वह प्रेक्षागृह की स्वच्छता एवं रख–रखाव में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

11. प्रेक्षागृह की दीवारों आदि पर किसी प्रकार के पोस्टर आदि लगाना वर्जित होगा तथा प्रेक्षागृह के बाहर लाऊडस्पीकर आदि भी लगाना वर्जित होगा।

12. प्रेक्षागृह का आरक्षण नाट्य संस्थाओं, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए किया जाएगा।

13. सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम आयोजन के 25 निमंत्रण–पत्र अकादमी हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

14. प्रेक्षागृह के आरक्षण की पुष्टि के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम के निरस्तीकरण की सूचना अकादमी को निर्धारित तिथि से अधिकतम तीन दिन के अन्दर दी जाती है तो किराए की जमा धनराशि में से पचास प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि संस्था को वापस कर दी जाएगी।

15. प्रेक्षागृह में लगे उपकरणों, परदों, गीनरूम, शीशे तथा कुर्सियों को यदि संस्था द्वारा प्रेक्षागृह को उपयोग में लाते हुए कोई क्षति होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति संस्था को करनी होगी।

16. प्रेक्षागृह के किराए, वातानुकूलन के किराए तथा प्रेक्षागृह के आरक्षण सम्बन्धी नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित होगा।

17. किसी भी आरक्षण को बिना कारण बत ाए निरस्त करने का एकाधिकार अकादमी के पास सुरक्षित हागा।

18. विभागीय कार्यक्रम होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रेक्षागृह का आरक्षण निरस्त किया जा सकता है।

19. संत गाडगेजी महाराज प्रेक्षागृह के आरक्षित करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव,
उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ

<u>उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ</u>

वाल्मीकि रंगशाला

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के गोमती नगर में स्थित परिसर में स्थित वाल्मीकि रंगशाला (इंटीमेट थियेटर) सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु किराए पर उपलब्ध है, जिसमें 142 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था तथा मंच का आकार 8 मी.× 10 मी. है। मंच के पीछे दो ग्रीन रूम भी निर्मित किए गए हैं। मंच पर साईड विंग्स, साइक्लोरामा, मिड कर्टेन तथा फ्रंट कर्टेन भी लगाए गए हैं। रंगशाला में वातानुकूलन की व्यवस्था हेतु एयरडक्ट्स बनाए गए हैं तथा महिला एवं पुरूष कलाकारों के लिए ग्रीन रूम के पास ही शौचालय की व्यवस्था भी है।

<u>वाल्मीकि रंगशाला के आरक्षण हेतु शुल्क की दरें :–</u>

क्र.	किराए का विवरण	नियम
1.	(क) नाट्य, लोक नाट्य, शास्त्रीय एवं लोक संगीत एवं लोक नृत्य एवं सुगत संगीत के कार्यक्रमों व इससे संबंधित गोष्ठ हेतु एवं कार्यक्रमों में रू0 1.00 से रू0 100.00 तक टिकट बिक्री करने पर/सहयोग राशि लेने पर एवं सरकारी/अर्द्धसरकारी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों पर किराये की धनराशि कुल रू0 4,000.00 नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त इस किराये के अन्तर्गत कैण्टीन/लॉबी भी सम्मिलित होगी (प्रतिदिन 08 घण्टे हेतु) रखा जायेगा।	1. इस किराए में प्रेक्षागृह आठ घंटे हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। 2. किराए के अन्तर्गत संस्थाओं को सेट निर्माण/साज–सज्जा हेतु प्रेक्षागृह प्रथम 2.00 घंटे अतिरिक्त दिया जाएगा। 3. 3. किराए के अन्तर्गत वातानुकूलन की सुविधा अधिकतम छः घंटे के लिए मुख्य कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त वातानुकूलन की सुविधा हेतु रू0 500/–प्रति घंटे की दर से उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मुख्य कार्यक्रम हेतु जनरेटर की सुविधा अधिकतम 2.30घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जनरेटर की सुविधा लेने पर 10लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल संस्था द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
2.	नाट्य, लोक नाट्य, शास्त्रीय एवं लोक संगीत एवं लोक नृत्य एवं सुगम संगीत के कार्यक्रमों व इससे संबंधित गोष्ठी में रू0 100/– से अधिक टिकट बिक्री करने एवं सहयोग राशि लेने पर तथा कारपोरेट द्वारा प्रायोजित करने पर सरकारी/अर्द्धसरकारी, निगम, टी0वी0, आकाशवाणी, स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट, संगीत स्कूल के कार्यक्रमों व्यवसायिक एवं अन्य हेतु किराया रू0 8,000.00 एवं नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त इस किराये के अन्तर्गत टैरिस/लॉबी भी	1. इस किराए में प्रेक्षागृह आठ घंटे हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। 2. किराए के अन्तर्गत संस्थाओं को सेट निर्माण/साज–सज्जा हेतु प्रेक्षागृह प्रथम 2.00 घंटे अतिरिक्त दिया जाएगा। 3. किराए के अन्तर्गत वातानुकूलन की सुविधा अधिकतम छः घंटे के लिए मुख्य कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त वातानुकूलन की सुविधा हेतु रू0 500/–प्रति घंटे की दर से उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मुख्य कार्यक्रम हेतु जनरेटर की सुविधा अधिकतम 2.30घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त

	सम्मिलित होगी (प्रतिदिन 08 घण्टे हेतु) रखा जायेगा।	जनरेटर की सुविधा लेने पर 10लीटर प्रति घंटे की दर से डीजल संस्था द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
		1.

1. प्रेक्षागृह का आरक्षण होने की स्थिति में खान–पान आदि की व्यवस्था हेतु प्रेक्षागृह की लॉबी (कैन्टीन) संस्था के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके किराए हेतु रू0 2,000/–मात्र का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाना होगा।
2. विशेष परिस्थितियों में प्रेक्षागृह आरक्षण के आठ घंटे के अतिरिक्त (अतिरिक्त चार घंटे अर्थात् कुल 12.00 घंटे) प्रेक्षागृह की आवश्यकता होने पर बिन्दू–1 एवं 2 हेतु अतिरिक्त रूप से क्रमशः रू0 500/– एवं रू0 700/–मात्र देय होगा।

<u>वाल्मीकि रंगशाला के आरक्षण से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें :–</u>

1. रंगशाला का आरक्षण प्रथम आगत एवं प्रथम स्वागत के आधार पर किया जाएगा।

2. रंगशाला के आरक्षण हेतु अकादमी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सम्भावित आरक्षण किया जा सकता है किन्तु इसके लिए आवेदन–पत्र के साथ धरोहर राशि का बैंकड्राफ्ट जमा करना होगा। यदि संस्था/व्यक्ति द्वारा तिथियों में परिवर्तन/निरस्त कराया गया तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

3. आरक्षित की गयी कार्यक्रम की तिथि से 15 दिन पूर्व रंगशाला के किराए का भुगतान करने पर ही आरक्षण की पुष्टि की जाएगी। यदि 15 दिन पूर्व किराए का भुगतान नहीं किया गया तो रंगशाला के आरक्षण के निरस्तीरण तथा धरोहर राशि के जब्त हेतु अकादमी उत्तरदायी नहीं होगी।

4. रंगशाला के आरक्षण हेतु **ज़िला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र** संस्था द्वारा प्रस्तुत करना होगा। बगैर ज़िला प्रशासन की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्रेक्षागृह खोला जाना सम्भव नहीं होगा।

5. रंगशाला के आरक्षण हेतु यह अनिवार्य होगा कि आवेदक संस्था द्वारा रू0 2,500/–(रूपए दो हजार पांच सौ मात्र) धरोहर राशि के रूप में किराए के साथ जमा की जाएगी। यदि किसी संस्था द्वारा लगातार दो दिनों से अधिक की अवधि के लिए रंगशाला का आरक्षण कराया जाता है और इन दिनों में कोई भी क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने पर ही आगे के कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम के सम्पन्न होने के उपरान्त, यदि संस्था द्वारा रंगशाला के उपयोग में लाते समय रंगशाला, प्रकाश एवं ध्वनि उपकरणों में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है तो संस्था को धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। किन्तु किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसका आकलन कर धरोहर राशि में से कटौती कर ली जाएगी। यदि संस्था चाहे तो धरोहर राशि अकादमी के पास जमा रख सकती है, जिसका उपयोग संस्था द्वारा आगामी कार्यक्रमों हेतु रंगशाला के आरक्षण के समय किया जा सकता है, धरोहर राशि की स्व प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न की जानी होगी।

6. रंगशाला की कार्य–अवधि सप्ताह में सातों दिन प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होगी। रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् रंगशाला का उपयोग वर्जित होगा तथा रंगशाला का उपयोग करने वाली संस्था को रात्रि 10.00 बजे तक रंगशाला अकादमी के केयरटेकर/गार्ड को सौंपनी होगी। रंगशाला के अन्दर पान, तम्बाकू, सिगरेट, मदिरा तथा अन्य किसी नशे की वस्तुओं का उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा। किसी प्रकार का खान–पान अथवा चाय आदि रंगशाला के अन्दर वर्जित होगा।

7. रंगशाला का उपयोग नाट्य, लोक तथा शास्त्रीय सगीत के कार्यक्रमों, सेमिनार, संगोष्ठियों आदि के लिए ही किया जाएगा। फैशन–शो, पॉप संगीत आदि तथा विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों, ट्रेड यूनियनों, सेवा संघों, राजनैतिक संगठनों आदि के कार्यक्रमों के लिए रंगशाला का आरक्षण नहीं किया जाएगा।

8. रंगशाला की स्वच्छता तथा रख–रखाव का दायित्व अकादमी के साथ–साथ रंगशाला का उपयोग करने वाली संस्था का भी होगा ओर संस्था से अपेक्षा है कि वह रंगशाला की स्वच्छता एवं रख–रखाव में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

9. रंगशाला की दीवारों आदि पर किसी प्रकार के पोस्टर आदि लगाना वर्जित होगा तथा रंगशाला के बाहर लाऊडस्पीकर आदि भी लगाना वर्जित होगा।

10. रंगशाला का आरक्षण नाट्य संस्थाओं, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए किया जाएगा।

11. सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम आयोजन के 25 निमंत्रण–पत्र अकादमी हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. रंगशाला के आरक्षण की पुष्टि के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम के निरस्तीकरण की सूचना अकादमी को निर्धारित तिथि से तीन दिन के अन्दर कराया जाता है तो किराए की जमा धनराशि में से पचास प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि संस्था को वापस कर दी जाएगी।

13. रंगशाला में लगे उपकरणों, परदों, गीनरूम, शीशे तथा कुर्सियों को यदि संस्था द्वारा रंगशाला को उपयोग में लाते हुए कोई क्षति होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति संस्था को करनी होगी।

14. रंगशाला के किराए, वातानुकूलन के किराए तथा रंगशाला के आरक्षण सम्बन्धी नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित होगा।

15. किसी भी आरक्षण को बिना कारण बताए निरस्त करने का एकाधिकार अकादमी के पास सुरक्षित हागा।

16. विभागीय कार्यक्रम होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के रंगशाला का आरक्षण निरस्त किया जा सकता है।

17. वाल्मीकि रंगशाला के आरक्षित करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव,
उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ